Research Inspiration
(Peer-reviewed, Open Access & Indexed)
Journal home page: www.researchinspiration.com
ISSN: 2455-443X, Vol. 08, Issue-I, Dec. 2022

उपभोक्ता संरक्षण कानून एवं खाद्य पदार्थों में अपमिश्रणः एक समीक्षात्मक अध्ययन

(Consumer Protection Laws and Food Adulteration: An Analytical Study)

Ashish Gupta [a,*]

[a] *Ph.D. Scholar (Commerce) & Assistant Professor, Govt. M.J.S. P.G. College, Bhind, Jiwaji University Gwalior, Madhya Pradesh, (India).*

KEYWORDS

उपभोक्ता संरक्षण कानून, खाद्य पदार्थों में अपमिश्रण लापरवाही, उपभोक्ता, अपमिश्रण के कारण।

ABSTRACT

प्रत्येक मानव को जीवित रहने के लिए आवश्यक है, कि ऐसा कोई भी खाद्य पदार्थ जो जीवित प्राणियों के द्वारा भोजन के रूप में उपयोग किया जाता हैं उपलब्ध हो। जिसमें विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, जल तथा प्रोटीन इत्यादि आवश्यक पोषक तत्व मौजूद हो। मनुष्य को स्वस्थ और सक्रिय जीवन बिताने के लिए भोजन की आवश्यक होती हैं जिसके लिए यह आवश्यक है, कि प्रत्येक मनुष्य को अपने लिए भोजन के रूप में खाये जाने वाले खाद्य पदार्थों की व्यवस्था की जाती है। और उन खाद्य पदार्थों की व्यवस्था के बदले में भुगतान किया जाता हैं और उसके बाबजूद भी उन खाद्य पदार्थों में अपमिश्रण पाया जाता है। जिनका उपभोग उस उपभोंक्ता व उसके परिवार के द्वारा किया जाता है जिसकी बजह से वह परिवार अनेक बीमारियों का शिकार हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति को शुद्व भोजन प्राप्त होता है, जिससे उसके शरीर का कमिक विकास होता है। यदि बढ़ते हुए बच्चों को अपमिश्रण की बजह से भोजन में सभी आवश्यक पोषक तत्व नही मिलते है, तो बच्चे कई रोगों से ग्रसित हो जाते है। इस शोध पत्र के माध्यम से शोधार्थी द्वारा यह जानने का प्रयास किया गया है कि अपमिश्रण की बजह से समाज को होने वाले आर्थिक व शारीरिक नुकसान को उजागर करना है।

परिचय

वर्तमान परिदृश्य का अवलोकन करने पर पाया कि प्रत्येक क्षेत्र में व्यावसायिकता आ गई है, जिसके कारण बाजार में मिलने वाले सभी खाद्य पदार्थों में मिलावट का दौर चल पड़ा है। वर्तमान फैशन व प्रतिस्पर्धा के दौर में खाद्य पदार्थों आपको बाजार में शुद्व मिल जाए तो यह बहुत ही दुर्लभ बात होती है। दुर्लभ के साथ साथ महॅगी भी होती है। इसका पुमुख कारण यह भी है कि प्रत्येक व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना चाहता है, जिसकी वजह से वह खाद्य पदार्थों में मिलावट करता है। है। त्यौहारों के समय में बाजारों में चारों तरफ खाद्य पदार्थों एवं मिठाइयों की दुकानें दिखाई पड़ती हैं। उन दुकानों में कहने को तो हर दुकानदार शुद्व खोए से बनी, शुद्व दूध से बनी, शुद्व देशी घी में बनी मिठाइयों की बात करता है। लेकिन अधिकांशतः मुनाफे के चक्कर में गायब ही मिलती है।

खाद्य सुरक्षा एवं परिभाषायें –

खाद्य सुरक्षा का सरल सा अर्थ है कि देश के सभी नागरिकों के लिए किसी भी परिस्थिति में भोजन की उपलब्धता को सुनिश्चित करना और भोजन की पहुँच को जन–जन तक पहुँचाने का सामर्थ्य विकसित करना। अन्य शब्दों में "खाद्य सुरक्षा नीति वह नीति है जिसमें हम जन–जन के लिए खाद्य पदार्थों की पर्याप्त मात्रा के साथ–साथ पोषक तत्वों से युक्त भोजन को सुनिश्चित करते हैं। तथा खाद्य पदार्थों को इतना सस्ता व सुलभ बनाते हैं कि जिससे यह सामान्य लोगों तक भी पहुँच सके।"

खाद्य सुरक्षा की परिभाषा –

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की **धारा 3(थ)** में खाद्य सुरक्षा की परिभाषा दी गई जो कि निम्न प्रकार

* **Corresponding author**
***E-mail:** ashish.mjr@gmail.com (Ashish Gupta). https://orcid.org/0009-0000-0050-4709
DOI: https://doi.org/10.53724/inspiration/v8n1.08
Received 13th Nov. 2022; Accepted 20th Dec. 2022
Available online 30th Dec. 2022
2455-443X /©2022 The Journal. Published by Research Inspiration (Publisher: Welfare Universe). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

है–

''**खाद्य सुरक्षा**'' से यह आश्वासन अभिप्रेत है कि खाद्य उसके आशयित उपयोग के अनुसार मानव उपभोग के लिए स्वीकार्य है।

खाद्य पदार्थों में अपमिश्रण के कारण

भारत में खाद्य अपमिश्रण के निम्नलिखित कारण हैं–

1. अपर्याप्त खाद्य पदार्थ
2. अधिक धन कमाने की चाह
3. देशी संसाधनों में कमी व उनका नष्ट होना
4. कच्चे माल की बढ़ती कीमतें
5. गरीबी
6. व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा
7. जनसंख्या वृद्वि

1. **अपर्याप्त खाद्य पदार्थ**

अपर्याप्त खाद्य पदार्थ के कारण एवं बढ़ती हुई जनसंख्या, के कारण खाद्य पदार्थों में अपमिश्रण के अधिक कारण होने कह संभावना होती है।

2. **अधिक धन कमाने की चाह**

अधिक धन कमाने की चाहत में दुकानदारों एवं विनिर्माताओं के द्वारा खाद्य पदार्थों में अपमिश्रण जैसे कार्य किये जाते है। दुकानदारों एवं विनिर्माताओं के द्वारा अपने निजि स्वार्थ हेतु अधिक धन कमाने को अधिक महत्व देने लगता है।

3. **देशी संसाधनों में कमी व उनका नष्ट होना**

भागदौड़ भरी जिनदगी एंव प्रतिर्स्पधा की दौड़ में व्यक्ति अपने देशी संसाधनों को नष्ट करता जा रहा है, एवं विदेशी सभ्याताओं और संसााधनों को अपनाता जाता है। जिससे अपने देशी संसाधन लुप्त होते जाते है। अन्त में सभी पदार्थों मे कृत्रिम रूप से बनाये गये पदार्थों का उपभोग किया जाता है। जैसा कि हम जानते है कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश रहा है, और यहाँ की जनता का जीवन यापन प्राचीन काल से ही कृषि एवं मवेशियों पर निर्भर करता था। लेकिन वर्तमान समय में अब पाश्चात्य देशों की सभ्यता को अपनाने में व्यक्तियों के द्वारा अपनी शान समझा जाने लगा है। जिससे स्वाभाविक सी बात है कि अपमिश्रण लगातार बढ़ने की संभावना है।

4. **कच्चे माल की बढ़ती कीमतें**

उत्पादों को निर्मित करने वाली कम्पनियों एवं कच्चे माल को बेचने वाले दुकानदारोंए ठेकेदारों के द्वारा लगाातार बढ़ायी जा रही कीमतों के कारण भी अपमिश्रण एक बड़ा कारण है। सरकार को इस ओर ध्यार देने की आवशकता है।

5. **गरीबी**

गरीबी भी अपमिश्रण का एक विशेष कारण है, क्योंकि गरीब व्यक्तियों के द्वारा जब किसी व्यवसाय को करने का प्रास करता है लेकिन सफलता न मिलने के कारण भी व्यक्तियों का अपमिश्रण का सहारा लेना पड़ता है। जब उनके खर्चे पूरे नही होते है तब भी वे मिलावट करने के लिए अग्रसर हो जाते है।

6. **व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा**

व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा भी अपमिश्रण का एक बड़ा कारण है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे से आगे निकलना चाहता है, और कहीं ना कहीं आगे निकलने की होड़ उत्पादों की गुणवत्ता में कमी एवं अपमिश्रण का सहारा लेकर प्रतिर्स्पधा को मात देने की कोशिश करता है। और खाद्य पदार्थो की कीमत कम करने के चक्कर में भी अपमिश्रण करने लगता है।

7. **जनसंख्या वृद्धि**

बढ़ती हुई जनसंख्या अपने आप में अपमिश्रण का एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जनसंख्या अगर अधिक होगी एवं खाद पदार्थों की अपर्याप्तता होगी। तब व्यक्ति अपर्याप्तता की पूर्ति करने के लिए कहीं ना कहीं उन पदार्थों में अपमिश्रण का सहारा लेता है। क्योंकि वह उस मिलावट से अधिक से अधिक लाभ कमाने की कोशिश करता है।

उपभोक्ता संरक्षण से सम्बन्धित कानून

संवैधानिक प्रावधान

"खाद्य पदार्थों की सुरक्षा" शब्द का उल्लेख भारत के संविधान में कहीं नहीं मिलता है। हालाँकि संविधान की सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि 18 संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को खाद्य अपमिश्रण पर कानून बनाने का अधिकार देती है।[1] और इस सम्बन्ध में विभिन्न कानून बनाए गए हैं।, परन्तु अनुच्छेद 47[2] राज्य पर पोषण के स्तर के साथ–साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए एक कर्तव्य निर्धारित करता है, जबकि अनुच्छेद 21 गारंटी देता है।[3] तथा जीवन का अधिकार इसमें सम्मिलित है।

खाद्य सुरक्षा और मानक कानून सार्वजनिक स्वास्थ्य के अधिकार का आनन्द लेने के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त है। विन्सेन्ट बनाम भारत संघ[4] में सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि एक स्वस्थ शरीर सभी मानवीय गतिविधियों का आधार है। अनुच्छेद 47, राज्य के प्राथमिक

कर्तव्यों में से एक के रूप में सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक दवाओं के निषेध पर जोर देता है। मेनका गाँधी बनाम भारत संघ[5] का दायरा और अनुच्छेद 21 के दायरे के विस्तार ने जीवन के अधिकार का अर्थ मानवीय गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार को माना है न कि केवल पशु जैसा अस्तित्व रखना। सेन्टर फॉर पब्लिक इन्टरेस्ट लिटिगेशन बनाम भारत संघ[6] में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए असुरक्षित और खतरनाक या हानिकारक भोजन जीवन के अधिकार का हनन है।[7]

निष्कर्षः

भारत में विधायिका ने भी खाद्य पदार्थों में मिलावट एवं उनके दुष्प्रभावों को रोकने के लिए अमूल्य योगदान दिया है। जिसके संदर्भ में उन्होंने खाद्य पदार्थों से संबंधित विभिन्न विधियों को समय–समय पर संशोधित कर मिलावटखोरों पर लगाम लगाने की कोशिश की है। और यह मिलावटखोरी को रोकने की पहल फलीभूत भी हुई है।

न्यायिक तंत्र ने भी खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए अथक प्रयास किए हैं। जिसमें उन्होंने विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णयों के माध्यम से शासन प्रशासन को सही दिशा निर्देश दिए। जिससे मिलावटखोरों पर लगाम लगाने में बहुत ही मदद मिली। आवश्यकता पड़ने पर न्यायालयों द्वारा कठोर दंड भी दिये गये। कई बार न्यायालयों की मदद के द्वारा निर्णयों की मदद से ही मिलावट करने वालों में भय व्याप्त हुआ है। जिससे खाद्य पदार्थों में मिलावट में भी पिछले दशकों की अपेक्षा कमी आई है। अब न्यायालयों को त्वरित कार्यवाहियों की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है।

संदर्भसूची

[1] भारत का संविधान सातवीं अनुसूची (अनुच्छेद 246) सूची–।।। समवर्ती सूची 18 : खाद्य पदार्थों और अन्य वस्तुओं की मिलावट

[2] भारत का संविधान 1950, भाग–4–राज्य के नीति निर्देशक तत्व

[3] भाग–3–मौलिक अधिकारः भारत का संविधान, 1950।

[4] ए.आई.आर. 1981 एस.सी. 990।

[5] 1978 AIR 597, 1978 SCR (2) 621

[6] ए.आई.आर. 2007, एस.सी. 719।

[7] अनुच्छेद 21: भारत का संविधान, 1950।

अन्य पुस्तकें:

1. एस. के. पाण्डेय और आर. के. नरूलाः भारत का संविधान, 1950, इलाहाबाद लॉ पब्लिकेशन, संस्करण, 2018, पेज न. 23–24।
2. चन्द्रकांत झाँ, आलोक सक्सैनाः खाद्य सुरक्षा एवं मानक विधिः इण्डियन पब्लिसिंग कम्पनी पब्लिकेशन डिवीजन, सस्करण 2022, पृ. 14।